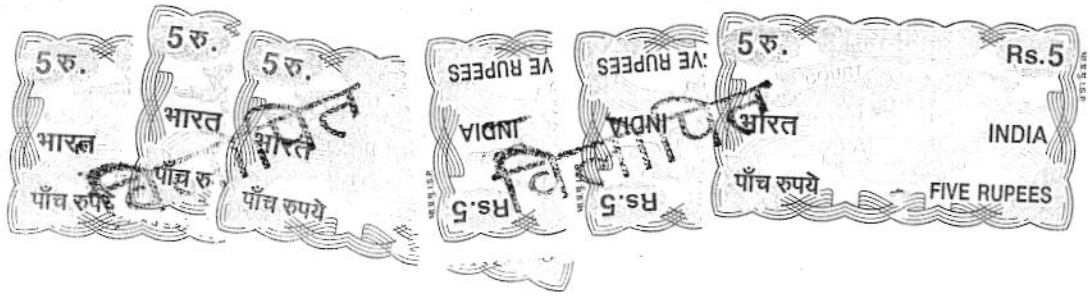

5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
विक्रित

(14)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक ~~/2018~~ निगरानी- 3017/2018/उज्जैन/भू.रा

नाथूराम रावत पुत्र स्व0श्री रामदयाल रावत्

आयु 60 वर्ष , व्यवसाय- काश्तकारी

निवासी ग्राम महोर , तह0 बड़ौनी ,

जिला दतिया ﴾म0प्र0﴿

----निगरानीकर्ता/आवेदक

श्री एस0 के0 पाण्डे अभि0 द्वारा 16-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-5-18 नियत। क्लर्क 16-5-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

हसना नट पुत्र स्व0 श्री रमुआ नट ,

आयु 55 वर्ष , निवासी ग्राम कालो पहाड़ी,

तहसील नरवर, जिला शिवपुरी ﴾म0प्र0﴿

------ अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता ,

विरूद्ध आदेश दिनांक 25-6-17 को रा0नि0वृत् बिल्हारी जि0दतिया जो प्रकरणक्रमांक 44/सी/रा0नि0-21-3/121 के द्वारा ~~ठठठठ~~ किये गये सीमांकन के विरूद्ध प्रस्तुत है ।

--0--

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता / आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

﴾1﴿- यह कि, सर्वे क्रमांक 818 रकवा 2 हे0 , ग्राम महोर तहसील बड़ोनी जिला दतिया में स्थित उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा पिछले 45 वर्षों से चला आ रहा है । अनावेदक ने उक्त भूमि का पट्टा तहसीलदार से साँठ-गाँठ करके करा लिया है । जबकि उसको पट्टे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक : निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2018 / 3017

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
9-1-19	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना जा चुका है। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त विल्हारी तहसील बड़ौनी जिला दतिया के प्र.क. 44 सी / रा.नि–2 अ–12 में दिये गये सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 25–6–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नही रही है। राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित आदेश के विरूद्व पीढ़ित पक्षकार को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है। तद्नुसार आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है। सदस्य	